

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 37( )परावि/प्रशा-2/मंत्रा/स्था 11 /2016/4179 जयपुर दिनांक 10-10-16

**:: आदेश ::**


निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव प्रशासनिक/राज्यहित में किये जाते हैं ।

क्रसं	नाम कार्मिक	पद	कहां से	कहां को
1.	मुनेश देवी	च.श्रे.क.	प.स.खेतडी (झुझनु)	प.स.नीम का थाना (सीकर)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


**नोट:-**

1. उक्त आदेशों की पालना में यदि पद रिक्त नहीं है तो पारस्परिक अथवा अधिकतम ठहराव वाले कार्मिक को निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे ।
2. उक्त कार्मिकों की संस्थापन संबंधी सूचना से मिलान किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि कोई त्रुटी नहीं हो ।
3. उक्त आदेश मा.न्यायालय से प्राप्त स्थगन की पालना में कार्यरत कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होंगे
4. उक्त कार्मिकों को स्थानान्तरण पर योगकाल देय नहीं होगा ।
5. यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई कार्मिक अधिशेष नहीं हो ।

  
(राजेन्द्र शेखर मक्कड)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक मा. मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर ।
3. मुख्य/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद संबंधित ।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित,
5. संबंधित कार्मिक द्वारा प०स० संबंधित ।
6. प्रोग्रामर आदेश अपलोड करने हेतु ।
6. आदेशपत्रावली

  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव